UPLP010015672026

न्यायालय–विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश लखीमपुर–खीरी।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–95/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–793/2026

इकबाल बहादुर सिंह उर्फ अकबाल बहादुर सिंह आयु लगभग 43 वर्ष पुत्र शिवनाथ सिंह निवासी ग्राम भोगियापुर थाना मोहम्मदी जिला खीरी।

———————— अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य ———————— अभियोजन।

विशेष सत्र वाद सं0–09/2024
मु0अ0सं0–240/2023
धारा–186,353,332,504 भा0दं0सं0
धारा–3(1)द,ध व 3(2)5ए एस.सी./एस.टी. एक्ट
थाना–मोहम्मदी, जिला खीरी।

दिनांक 13.03.2026

प्रार्थी/अभियुक्त इकबाल बहादुर सिंह उर्फ अकबाल बहादुर सिंह की ओर से थाना–मोहम्मदी, जिला खीरी के विशेष सत्र वाद सं0–09/2024, धारा–186,353,332,504 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)द,ध व 3(2)5ए एस.सी./एस. टी. एक्ट में उपरोक्त जमानत प्रा0पत्र, जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रा0पत्र एवं शपथपत्र तथा अन्य प्रपत्रों को संदर्भित करते हुए यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र सेशन अथवा उच्च न्यायालय में विचाराधीन नही है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को फर्जी फंसाया गया हैं, प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगें। अतः अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा की जावे।

वादी मुकदमा पर नोटिस प्रेषित किये जाने पर सम्बन्धित थाने से नोटिस का तामीला जरिए दूरभाष व वाट्सअप कराया गया तथा तारीख पेशी से अवगत कराया गया, के बाबत आख्या प्राप्त है।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रा0पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.04.23 को वादी जो कि सरकारी कर्मचारी है, की टीम विद्युत बिल वसूली हेतु कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर रही थी ,पर हमला करके मारपीट किया एंव गाली गलौज किया और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

मैंने, प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त पर वादी मुकदमा जो कि सरकारी कर्मचारी है, की टीम जो विद्युत बिल वसूली हेतु कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर रही थी ,पर हमला करके मारपीट करने, गाली गलौज करने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किये जाने का आरोप है। विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नही किया गया है। अभियोजन द्वारा इस स्तर पर अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आत्म समपर्ण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **Satender kumar Antil vs Central Bureau OF Investigation (2022) 10, SCC 51** को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण के गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना, न्यायालय की राय में प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त इकबाल बहादुर सिंह उर्फ अकबाल बहादुर सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा क्रि0मिस0 एप्लीकेशन अं0धारा 528 बी0एन0एस0एस0 संख्या 6400/2025 श्रीमती बच्छी देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश/निर्णय दिनांकित 12.08.25 के अनुपालन में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) का स्व–बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे दौरान मुकदमा निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाय–

1. अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा।
2. अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगां।
3. अभियुक्त, अभियोजन साक्ष्य को नष्ट नहीं करेगा।
4. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा परिचालित परिपत्र सं0 19/एडमीन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत अभियुक्त के जमानतनामें को स्वीकृत करते समय प्रतिभूतिओं के स्थाई व अस्थाई पता विवरण के साथ प्रतिभूओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किये जायेंगे।

दिनांक 13.03.2026

(राजेश्वरी टोलिया)
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश
लखीमपुर खीरी।
JO CODE No. UP6162

Digitally signed by RAJESHWARI TOLIA
Date: 2026.03.13 19:50:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court